

आवश्यकता पड़ने पर विभाग से सम्बन्धित अन्य सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से जनता को उपलब्ध करवाई जा रही हैं ।

जबकि इन सूचनाओं का प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाएगा ।

अब जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा ४(१)(सी) के अन्तर्गत जनता को सूचना उपलब्ध करवाने बारे जरूरी नीतियां एवं निर्णय लिए जाएं तो महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकाशन किया जाएगा ।

और जबकि उक्त अधिनियम की धारा ४(१)(डी) के अन्तर्गत विभाग के निर्णयों एवं नीतियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित कर दिया जाया करेगा ।

अतैव इस अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस बोर्ड, समाचार पत्र, मीडिया, इन्टरनेट एवं वेबसाइट इत्यादि सम्भव माध्यमों से सूचना दिए जाने के प्रयास किए जायेंगे ।

(आर०के० राकेश)

जन सूचना अधिकारी (संयुक्त निदेशक)

निदेशालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले, हि०प्र०, शिमला-९.